JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

घुमन्तू जनजातियों की सामाजिक - सांस्कृतिक, आर्थिक दशा एवं दिशा

डॉ.मीनाक्षी अधिकारी
सहायक आचार्या एवं हिंदी विभाग,
गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय,बाँसवाड़ा,राजस्थान
पता- कलिका माता रोड, बाँसवाड़ा,327001

सारांश (ABSTRACT):-

भारत में निवास करने वाली जनजातियों में घुमन्तू, अर्द्धघुमन्तू एवं विमुक्त जनजातियों की संख्या लगभग 15 करोड़ से भी ज्यादा हैं | रंग बिरंगी जीवन शैली वाला यह समजा निरन्तर घूमता रहता हैं | इनके पास हमारी प्राचीन संस्कृति, विरासत व परम्पराए हैं | जिन्हें संजोकर रखने में अहम योगदान हैं | वर्तमान समय में यह समाज हाशिए पर चला गया हैं | नयी रोशनी की तलाश में संघर्षरत यह समाज अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत हैं | जो लोग समाज सुधार की अग्रिम पंक्ति के लोग थे, वही आज हाशिए पर है |

इस जनजाति की सामाजिक- सांस्कृतिक, आर्थिक दशा का अध्ययन कर भविष्य में उत्थान के सुझाव व उपाय पर विमर्श किया गया है | जागरूकता से ही सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यह जनजाति ले सकती है |

KEY WORDS – घुमन्तू जनजातियाँ, दशा, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, आयोग व बोर्ड, उत्थान, सम्भावनाएं |

1. घुमन्तू जनजातियाँ : संक्षिप्त परिचय

भारतीय समाज विभिन्न वर्गों या समुदायों में विभक्त हैं | उसमें से समाज का एक वर्ग है जो आजादी के बाद आज तक भी सर्वाधिक उपेक्षित व पिछड़ा वर्ग है, वह हैं- घुमन्तू, अर्द्धघुमन्तू एवं विमुक्त जनजातियाँ | वर्तमान समय में इस समुदाय की संख्या 15 करोड़ के लगभग मानी जाती है | ब्रिटिश हुकूमत में जिन कट्टर सशस्त्र विद्रोही समुदायों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था और भारत सरकार ने 31 अगस्त 1952 को इस कानून से मुक्त कर दिया अब वह विमुक्त जनजातियाँ कहलाती हैं | रंग बिरंगी जीवन शैली से सदैव दुनिया को आकर्षित करने वाली इस जनजाति की वास्तविक दुनिया बदरंगी हैं| यह समाज आज हाशिए पर चला गया हैं |

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पूरे भारत में घुमन्तू समाज के 840 समुदाय हैं इसमें से अकेले राजस्थान में 52 समुदाय आते हैं – इसमें से बंजारा, कालबेलिया, गाडिया लोहार, बाजीगर, बहरूपिया, जोगी, कलंदर, रैबारी, नट, भाट, भोपा, साठिया, मल्लाह, केवट, निषाद, नायक, बिन्द, धीवर, डोम, कंजर आदि प्रमुख हैं |

2. घुमन्तू जनजातियों की दशा – एक पुरानी कहावत हैं, रमता जोगी, बहता पानी | इनका ठहराव कहीं नहीं होता हैं | चलते रहना बहता रहना इनकी नियति हैं भारत के इस देश में करोडो ऐसे लोग भी हैं, जिनकी नियति भी कुछ ऐसी ही हैं | कभी शहर कभी गाँव इसमें अधिकतर लोग विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध घुमन्तू जनजातियों से सम्बन्धित है | भारत में इनकी संख्या 15 करोड़ के लगभग मानी जाती हैं |[1]

अगर इतिहास पर नजर डाले तो इनकी दशा अच्छी थी | सामाजिक व्यवस्था में इनका विशिष्ट स्थान था | ये सफल कारोबारी के साथ-साथ बेहतरीन कलाकार भी थे | हमारे ग्राम्य समाज के अभिन्न अंग थे | कोई समुदाय गांवो में जाकर वस्तुओ का व्यापार करता था तो कोई प्रदर्शन कलाओं से लोगो का मनोरंजन | कुछ समुदाय पशुपालन से जुड़े थे तो कुछ संगीत और नृत्य की दुनिया से | कुछ बेहतरीन शिल्पकार थे तो कुछ औषधीय जड़ी बूटियों के विलक्षण ज्ञाता | जब समाज स्थिर था तो यह जड़ नहीं चलायमान थे | ये संदेशवाहक व्यापारी और कारोबारी के रूप में स्थापित और प्रतिष्ठित थे कुछ जनजातियाँ युद्ध कला में प्रतीक थी और उन्होंने मुगलों को भी खूब छकाया था |[2] इसका उदाहरण महाराणा प्रताप के समर्थन में गाडिया लोहार जाति सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं |

1857 की क्रांति में हथियार बनाने से लेकर क्रांतिकारियों की मदद में इन्होने अग्रणी भूमिका निभाई हैं | अंग्रेजों ने इन्हें प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी |
हमारे राष्ट्रनायकों ने अंग्रेजों के आपराधिक अधिनियम 'आपराधिक अधिनियम 1871' का विरोध किया | अंग्रेजों ने इन्हें किस आधार पर अपराधी करार दिया था | आज भी यह जनजाति अपने उस उपेक्षित जीवन से निजात न पा सकी हैं |

आजादी के उपरांत आपराधिक जनजाति कानून आजादी के पाँच साल सोलह दिन तक प्रभावी रहा | 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरु ने शोलापुर में एक समारोह में इन जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के संकल्प के साथ विशेष मुक्ति दिलाया तभी से ये मुक्त जनजातियाँ कही जाने लगी |[3]

भारत सरकार ने पहली से सातवीं योजनावधि के दौरान इनके विकास के लिए खासा धन आवंटित किया | इनकी शिक्षा भूमि और पूनर्वास की योजनाएं बनी,लेकिन राज्यों में ये जमीन पर साकार नहीं हो सकी | कारण यह बताया गया कि ये घुमन्तू हैं बसने को तैयार नहीं होती हैं | आठवी योजना से यह काम राज्यों के जिम्मे छोड़ दिया गया हैं |[4] अभी तक विमुक्त,घुमन्तू और अर्ध घुमन्तू जनजातियों के मामले में कई तरह की बाधाएँ हैं | इनकी संख्या के प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं | ये जनजातियाँ देहात में रहती हो, जंगली इलाकों में रहती हों, या फिर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरो में इनकी दशा व दिशा हर जगह खराब हैं | कहीं भी चोरी या किसी खास घटना पर पुलिस इनको पहला शिकार बनाती हैं | कई राज्यों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों या पिछड़े वर्गों में शामिल करने के बाद भी इनके जाती प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी प्रमाण पत्र नहीं बन पते क्योंकि यायावरी इन पर थोपी हुई हैं |

सन 1857 की आजादी की लड़ाई में यही बंजारे थे, जो गधो पर हथियार लादकर क्रांतिकारियों को पहुँचाते थे | ये बंजारे ही हैं जो फ्रांस, युगोस्लाविया तथा यूरोप के अन्य देशो में माल पहुँचाने के बाद भी गोरबोली भाषा और अपने पहनावे को बरकरार रखे हुए हैं | दिल्ली का राष्ट्रपति भवन और गुरुद्वारा रकानगंज, लखीशाह बंजारे की जमीन पर स्थित हैं| आज बंजारों के नाम पर एक कट्ठा जमीन भी दर्ज नहीं |[5]

स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को सरकारी निगाह से देख भर लेने से इस समुदाय के कई उज्जवल पहलुओं का बोध होता हैं | इस समूह के कई बलिदानों का पता चलता हैं | ज्ञात होता है कि यह आदिम समुह मुख्य धारा की सामाजिक संरचना का हिस्सा था | ट्रांसपोर्टेशन से लेकर मनोरंजन और चिकित्सा से लेकर सूचनाओं तक के लिए समाज इन जनजातियों पर निर्भर था |[6]

3. सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था -

घुमन्तू समाज की घुमक्कड़ी में ही छुपी हैं हमारी सामाजिक व सांस्कृतिक परम्पराएँ | कुछ विद्वानों का यह मानना है कि अफ्रिका और यूरोप के जिप्सी समाज इनसे जुड़े रहे हैं, जिन्हें पहले सौदागर कहा जाता था जो ऊँट, गधे, बैलगाड़ी और खच्चर की मदद से व्यापार करते थे | यह सभी समुदाय किसान के हितैषी और ग्रामीणों के सहयोगी हुआ करते थे | यह समाज संस्कृति को जोड़ने वाला समाज हैं | पहले यह बंजारे अरब से अरबी कपड़े मुल्तान से मुल्तानी मिट्टी और गुजरात के तटीय इलाकों से नमक गधों पर लादकर भारत के अलग-अलग हिस्सों में यात्रा कर अपना भरण-पोषण करते थे | राजस्थान के रेतीले मरुस्थलीय भाग से गुजरते हुए इन्ही घुमन्तू लोगों ने पानी के स्त्रोत के रूप में बावड़ी, जोहड़, टांकों का निर्माण किया यह उत्कृष्ट नमूने केवल जल आपूर्ति की नहीं बल्कि जल का पुनर्चक्रण भी हैं | व्यापार के माध्यम से यह दो संस्कृतियों को सहज ही जोड़ देते थे |[7] गवारिन ग्रामीण समाज की महिलाओं की जरूरतों को पूरा करतीं थी उनके पास महिलाओं के अंग वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री और आभूषण होते थे | वह ग्रामीण महिलाओं को इनका उपयोग भी बताती शहरी जीवन से रूबरू करती | बावरिया चक्की के पाटो को गहता और खुरदुरा बनाता |

आज यह पारम्परिक काम तो समाप्त - सा हो गया हैं | उनके यह सामान बड़े-बड़े माल व ब्यूटी पार्लरो में बिकते है | उनकी जरूरत खत्म हो गयी हैं |नट और भाट जाति तो समाज सुधार की अग्रिम पंक्ति के लोग है | नट और भाट साथ-साथ गांवों की यात्रा करते, सभी के गांव बंटे होते, हर दिन शाम को गांव की चौपाल में नटनी, ढपली की थाप पर कभी रस्सी पर चलती है तो कभी आग के गोले में कूदती, और भाट किसी सामाजिक कुरीति या किसी एतिहासिक घटना पर स्वांग करता और उसका नाटक हमें ह्रदय तक झकझोर देता था |

आज वह आदर व सम्मान नहीं मिलता है, उन्हें कोई देखना भी पसंद नहीं करता| परन्तु हमारी संस्कृति में आज भी राजस्थान में भोपा सारंगी की धुन पर पाबूजी की फड़ बाचता हैं | फड़ एक कपड़ा होता है जिस पर विभिन्न आकृतियाँ चित्रित होती हैं, जिन्हें देखकर वो कथा सुनाता | इनको पवित्र लोग माना जाता हैं | कालबेलियाँ समाज द्वारा बच्चे के जन्म पर जन्म घुट्टी पिलाई जाती जो प्रतिरोधक क्षमता बढाती हैं | सर्पदंश के इलाज में अहम् स्थान है | यह घुमन्तू समाज आयुर्वेद का जितना ज्ञाता है अन्य समाज नहीं हैं | इनके द्वारा बनाई गयी हरड की फांकी आज भी पेट की समस्या का कारगर इलाज हैं | समाज व सरकार

ने कालबेलिया नृत्य को तो राष्ट्रीय धरोहर बना दिया परन्तु उस समाज को ही उपेक्षित कर दिया हैं | इन सभी की प्रतिभा को तराशा जाए तो शायद यह भारत को विश्व में स्थान दिला सकता हैं | जोगी हाथ में सारंगी लेकर राजस्थान व हरियाणा में एक ऐतिहासिक घटना को इस गीत के माध्यम से गाता हैं –

छपनिया महाराज तेरे काजली रानी

अराः व तो कूद पड़ी समन्दर में पी गी पालरो पानी |

साठिया और रैबारी गाय और ऊँट के जरिए कृषि व्यापार और परिवहन को बढ़ावा देने के कार्य करते है |राजस्थान में मारवाड़ी जम्मू-कश्मीर में गुर्जर व करवाल लोग भेड़ बकरी पालते हैं | कर्नाटक, महाराष्ट्र में अलग–अलग नामों से जाना जाता हैं | दाड़ी जाती के लोग विवाह में मंगल गान व घर पर छप्पर डालने का कार्य करते हैं | बहरूपिया अलग-अलग स्वांग से मनोरंजन करता हैं | इस प्रकार यह समाज जंगल के जीवन को समाज से जोड़ता हैं |

4. घुमन्तू जनजातियों के व्यवसाय या आर्थिक आधार- मुक्तिधारा संस्था द्वारा उपलब्ध दस्तावेजो में इनके पारंपरिक व्यवसायों की जानकारी मिलाती हैं जो आज लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं | 'बंजारे' पशुओं का माल ढोने (मुख्यतः नमक व मुल्तानी मिट्टी) का काम किया करते थे | ' गाडिया लोहार ' जगह - जगह औजार बनाते और बेचते थे | ' बावरिये ' जानवरों का शिकार व उनके अंगो का व्यापार करते थे | ' नट ' नृत्य और करतब दिखाते थे | ' कालबेलिया ' (सपेरा) सांपों का खेल दिखाते थे | 'भोपा ' स्थानीय देवतओं से आख्यान गोत थे | ' सीकलीगर ' हथियारों के धार लगते थे | 'सिंगीवाल ' हिरन के टूटे हुए सींग से लोगों का इलाज करते थे और उन्हें प्राकतिक औषधियों का ज्ञाता कहा जाता था | कुचबंदा मिट्टी के खिलौने बनाते थे | ' कलंदर ' भालुओं और बंदरो के करतब दिखाते थे | ओढ़ नहर बनाते और जमीन को समतल करते थे | 'जागा' लोगों की कई पीढियों का ब्यौरा रखते थे और जजमानी में जगह-जगह जाते थे | 'बहरूपिये' और ' बाजीगर ' करतब व हाथ की सफाई दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे |[8]

आज औद्योगीकरण व आधुनिकीकरण ने इनके व्यवसाय छीन लिए हैं | आज यह जाति अपने व्यवसाय समाप्त होने से एक जगह बसना चाहती हैं | सरकार जो भी प्रयास कर रही हैं उसमे और तेजी की आवश्यकता हैं | पारंपरिक व्यवसाय के ध्वस्त होने, समाज से तिरस्कृत होने, पुनर्वास का मौका न मिलने के चलते आज कई घुमन्तू जनजातियों की महिलाएं वैश्यावृति करने को मजबूर हो चुकी हैं |

5. सरकार के प्रयास – आजादी के बाद से यही हो रहा है कुल आठ-नौ कमेटियों और राष्ट्रीय आयोगों की सिफारिशो के बाद भी इनके विकास के लिए कुछ उल्लेखनीय नहीं किया गया |

- रेणुके आयोग ने 2008 में सिफारिश की थी कि इन्हें शिक्षा व नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाए |
- इदाते आयोग की रिपोर्ट के बाद उसे लागू करने की जगह डी एन टी विकास बोर्ड का गठन कर लंबित प्रकरण कर दिया |

दोनों ही प्रमुख राष्ट्रीय आयोगों रेणुके आयोग ने 2008 और इदाते आयोग ने जनवरी २०१८ में अपनी रिपोर्ट आयोग को सौप दी हैं | केन्द्र सरकार ने भी 2015 में एक आयोग का गठन किया हैं |

राजस्थान की यह घुमन्तू समाज अनुमानित 8 % यानि 55 लाख के करीब हैं | राज्य सरकारों ने कभी कोई रिपोर्ट सार्वजानिक नहीं की हैं |

भाजपा सरकार ने बजट में वृद्धि कर घुमन्तू बोर्ड बनाने का वादा किया था जबकि कांग्रेस सरकार ने घुमन्तु बोर्ड बनाया व 50 लाख का बजट भी पास भी किया था | भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में आवास के लिए भूमि देने और रियायती दर पर जमीन के पट्टे देने की बात कही हैं | आवासीय विद्यालय खोलने, पहचान के दस्तावेज बनाने और विलुप्त होती कला के सरंक्षण की बात कही हैं | कांग्रेस सरकार ने घुमन्तूओ को पात्रता के आधार पर बी.पी.एल. से जोड़ने नि:शुल्क पट्टे देने का वादा किया था |[9]

घुमन्तू व विमुक्त समुदायों ने तेज की एक जाति एक रिजर्वेशन की मांग-हैदराबाद में 24-25 दिसम्बर 2018 को विभिन्न मुद्दों को लेकर दो दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया और देश भर से लाए लोगो की इस बात पर सहमती बनी की जिन जनजातियों का संविधान में नाम तक नहीं हैं, उन्हें संविधान में जगह देने के लिए मांग राखी जाए और घुमन्तू जनजाति, अर्धघुमंतू और विमुक्त जनजाति ये तीन शब्द तत्काल जोड़े जाए | इसके साथ इनकी जनगणना कराई जाए, ताकि पूरे भारत में इनकी संख्या का आंकलन हो सके | बालकृष्ण रेणके कमीशन का हवाला देकर बताया गया कि लगभग 20 राज्यों में डी एन टी की आबादी हैं | हालांकि इदाते कमीशन ने बताया की पूर्वोतर के राज्यों में भी घुमन्तू जनजातियों के लोग हैं | इन्होने आपत्ति व्यक्त की हैं कि इनके लिए अलग योजनाएं क्यों नहीं हैं |

मुस्लिम समुदाय में भी डीएनटी हैं | इसमें घुमन्तू वे लोग हैं, जो कलंदर या सपेरा हैं | ये सभी आदिवासी लोग थे परन्तु इन्होने मुस्लिम धर्म अपनाया | आज इन्हें मुस्लिम समाज ने भी नहीं अपनाया हैं और इन्हें घर के दरवाजे तक नहीं जाने दिया जाता हैं | नेशनल एलायंस ऑफ डीनोटिफाइड नोमेडिक एंड ट्राइब्स आर्गेनाइजेशन के संयोजक सुब्बा राव ने कहा की- □ घुमन्तू विमुक्त जनजातियों की अनदेखी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी | अब केवल बातों व आश्वासनों से काम नहीं चलने वाला हैं | हम घुमंतूओं और विमुक्तो को भी रिप्रजेंटेशन चाहिए | हम हिन्दू नहीं हैं, हम डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं | हमें एक जाति एक रिजर्वेशन के तहत अलग से रिजर्वेशन चाहिए | राष्ट्रीय स्तर पर मुहीम शुरु करके इस समुदाय को एक छतरी के नीचे लेन का प्रयास किया जा रहा हैं | संविधान सन 1950 में लागू हो गया, जिसके साथ ही गणतंत्र का अनुष्ठान पुरा हो गया | इस प्रकार सरकार व विभिन्न सामाजिक संगठनो, कार्यकर्ताओं के द्वारा समय-समय पर प्रयास किए जा रहे हैं जो अभी काफी नहीं हैं | अभी इसमें और तेजी की आवश्यकता हैं | इनका भविष्य खतरे में है | इस उपलब्धि पर डॉ. अम्बेडकर ने कहा, 'जनतंत्र का सर एक मनुष्य, एक मूल के सिद्धांत में निहित हैं | खेद हैं कि जनतंत्र के राजनैतिक ढांचे ने ' एक मनुष्य-एक वोट ' के सिद्धांत को अपनाया हैं |[10] म.प्र., हरियाणा, राजस्थान, पंजाब व गुजरात सरकार इनके उत्थान के अहम कदम उठा रही हैं |

6. भविष्य में उत्थान की संभावनाएं- आज से 10-15 साल बाद इस घुमन्तू समाज की नई पीढ़ी क्या करेगी यह महत्वपूर्ण प्रश्न हैं | इन बच्चों में भविष्य की असीम सम्भावनाए छिपी है इन्हें तराश कर हिन्दुस्तान का नक्शा बदला जा सकता हैं | नट बच्चे खेलो में बेहतरीन प्रदर्शन कर चीन ब्राजील व यू एस ए को पछाड़ सकते हैं | भोपा बच्चे सारंगी बेहतरीन बजाते हैं | भाट गजब के कलाकार हैं | बहरूपिया की वाकपटूता, बंजारो की शिल्पकारी व नक्काशी, लोहार की लोहे की काम की प्रवीणता, कालबेलियों का सर्पदंश पर उसके इलाज का एंटी विमेन बनाना | आज घुमन्तू समाज की पारंपरिकता पीछे छूट गई हैं | इनका पारंपरिक पैसा अब नहीं रहा इन्हें भविष्य में एक जगह बसना चाहिए, घर बनाना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार के अवसर तलाशने चाहिए | इन्हें भी मनरेगा योजना चाहिए | सरकार के प्रयासों में सहयोग कर यह समाज अपना वजूद तलाश सकता हैं |

निष्कर्ष- जैसा कि ऊपर की पंक्तियों में वर्णन किया गया है कि 1952 में इन घुमन्तू जनजातियों को विमुक्त कर दिया गया | तब से यह अपराधिक जनजातियाँ नहीं कहलाती और इन्हें विमुक्त जनजाति के नाम से जाना जाने लगा पर खाली नाम में ही बदलाव हुआ| स्थितिया जैसी की तैसी बनी रही |सामाजिक जागरूकता लाये बिना हम समतामूलक समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं | आज भी इस समुदाय को आजादी, नागरिकता, मतदान और विकास का परिचय नहीं हो पाया हैं | हमारी सरकार के प्रयास के अतिरिक्त समाज व नागरिको का भी कर्तव्य है कि इनके उत्थान के सफल प्रयास करे | यह समाज संस्कृति को जोड़ने वाला समाज हैं | हमारी परम्पराएँ, प्राचीन विरासतें इन्हें बचाने से ही बचाई जा सकती हैं | इन्हें बचाने से समृद्धशाली परम्परा व रंग-बिरंगी संस्कृति को बचाया जा सकता हैं |

संदर्भ ग्रन्थ-

1. अरविन्द कुमार सिंह,'नयी रोशनी की तलाश में घुमन्तू जनजातियाँ',योजना, जनवरी 2014, पृ.सं. 11
2. अरविन्द कुमार सिंह,'नयी रोशनी की तलाश में घुमन्तू जनजातियाँ',योजना, जनवरी 2014, पृ.सं. 11
3. अरविन्द कुमार सिंह,'नयी रोशनी की तलाश में घुमन्तू जनजातियाँ',योजना, जनवरी 2014, पृ.सं. 12
4. अरविन्द कुमार सिंह,'नयी रोशनी की तलाश में घुमन्तू जनजातियाँ',योजना, जनवरी 2014, पृ.सं. 12
5. गुप्ता, रमणिका, विमुक्त घुमन्तू भारत के नहीं बन सकते हैं, विमुक्त घुमन्तू आदिवासियों का मुक्ति संघर्ष, पृ.सं. 10, सामयिक प्रकाशन सं. 2016
6. कोटियाल, राहुल, घुमन्तू जनजातियाँ : अभिन्न रहा हमारे समाज का हिस्सा जिसे अपराधी बनाने के दोषी हम ही हैं, सत्याग्रह, 17 अगस्त 2016
7. शर्मा, अश्विन, ' हाशिए पर पहुँचा घुमन्तू : इनकी घुमक्कड़ी में ही छुपी हैं हमारी लोक परम्पराएँ, ' दि प्रिंट – लेख, 16 जनवरी 2019
8. कोटियाल, राहुल, घुमन्तू जनजातियाँ : अभिन्न रहा हमारे समाज का हिस्सा जिसे अपराधी बनाने के दोषी हम ही हैं, सत्याग्रह, 17 अगस्त 2016
9. शर्मा,माधव,लेख–क्यों राजस्थान में घुमन्तू समुदाय- चुनावी चर्चा से बाहर हैं | वायर, 16 फरवरी 2019
10. गुप्ता,रमणिका,'विमुक्त घुमन्तू भारत के नहीं बन सकते हैं'-विमुक्त घुमन्तू आदिवासियों का मुक्ति संघर्ष, पृ.सं. 9, सामयिक प्रकाशन, सं.2016 .